

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1057
उत्तर देने की तारीख- 05.02.2026

झोडिया समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान करना तथा सौरा भाषा की मान्यता

†1057. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति, जो कोरापुट-रायगड़ा-नवरंगपुर क्षेत्र के एक जनजाति समूह है, का अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लंबे समय से लंबित मांग की जांच की है और यदि हाँ, तो राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) झोडिया समुदाय की जनजातीय स्थिति को निर्धारित करने में सरकार द्वारा आधार बनाए गए नृवंशविज्ञान, भाषाई और मानवशास्त्रीय अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और उनकी संवैधानिक मान्यता में निरंतर हो रही देरी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों जनजातीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सौरा (सोरा) भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की है और यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन जनजातीय समुदायों की पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और सौरा भाषा को मान्यता देने पर समयबद्ध निर्णय लेने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): ओडिशा राज्य सरकार से झोडिया समुदाय को अजजा की सूची में प्रविष्टि संख्या 55 पर परोजा के पर्याय के रूप में ओडिशा की अनुसूचित जनजाति (अजजा) सूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त हुआ और मामला राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है।

किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं होता है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में संसूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

इसके अलावा, सौरा (सोरा) भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले में, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया है कि समय-समय पर सौरा सहित कई भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है। हालांकि, संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने पर विचार करने के लिए कोई तय मानदंड नहीं है। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होने वाली गतिशील प्रक्रिया (डायनामिक प्रोसेस) है, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भाषाओं के लिए कोई मानदंड तय करना मुश्किल है। पाहवा (1996) और सीताकांत महापात्रा (2003) कमेटियों के ज़रिए ऐसे तय मानदंड बनाने की पिछली कोशिशें अनिर्णीत रही हैं। सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में दूसरी भाषाओं को शामिल करने की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति सतर्क है। ऐसे अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। चूंकि अभी, संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए कोई तय मानदंड नहीं है, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।
